सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 323/13 **निर्णय दिनांकः–07–08–2019**

1. रहीमखॉ पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी चक 18 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–12–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 11–12–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील खाजुवाला के चक 18 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 86/25 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 24–03–1984 को किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त

स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उक्त खारिजी आदेश की पालना में नामान्तरणकरण संख्या 134 दिनांक 30—12—2000 दर्ज किया गया तथा अस्वीकृत किया गया फिर भी उक्त भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई। जिसके विरूद्व चाराजोई करने पर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा दिनांक 03—08—2016 को उक्त रकबा पुनः प्रार्थी के नाम बहाल कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष करने पर अपील दिनांक 08—12—2016 को निरस्त कर दी गई। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जो दिनांक 12—07—2018 को स्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो दिनांक 08—08—2018 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई कि अपीलांट आदेश जैर अपील को चुनौती दे। लिहाज अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में उक्त खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पत्रांक 16007 दिनांक 11—12—2000 तथा ओके पत्रांक 5291 दिनांक 13—12—2000 के आधार पर खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—12—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 07—09—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—12—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07—09—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न सेल रजिस्टर की पुश्त पर किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन के स्थाई रजिस्टर में आवंटन वर्ष 1984 के पश्चात् सन् 1999 तक किश्तें जमा होने का उल्लेख है। फिर भी दिनांक 11—12—2000 को एसीसी के पत्रांक 16007 दिनांक दिनांक 11—12—2000 तथा ओके पत्रांक 5291 दिनांक

13—12—2000 की पालना में कब्जे के आधार पर खारिज करने का नोट लगाया गया है। यदि आवंटी ने आवंटन के बाद 15 साल तक किश्तें जमा करवाई है तो 15 साल बाद तक कब्जा नहीं लेना संभव नहीं है। एसीसी ने केवला सामान्य पत्र लिखा तथा इसी को खारिजी का निर्णय मानकर तहसीलदार ने खारिज होने का नोट लगाया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर 3 बीघा मौके पर आवंटी का रकबा कम करते हुए आवंटन बहाल किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने इसकी पुष्टि की परन्तु राजस्व मण्डल, अजमेर से तकनीकी आधार पर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश निरस्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि आवंटन के बाद अपीलांट का लगातार कब्जा रहा है। अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। 15 साल तक लगातार किश्तें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—12—2000 निरस्त किया जाकर अपीलांट का मूल आवंटन आदेश दिनांक 24—03—1984 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर